मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

निविदा सूचना

क्रमांक ..15616.. / 01 / 2017 / स्था. इन्दौर दिनांक ..... JAN 2019

लोक सेवा आयोग कार्यालय के उपयोग हेतु दो वाहन चालक मासिक दर पर अधिकतम एक वर्ष हेतु आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने के अनुबंध किये जाने हेतु पंजीकृत संस्थाओं से दिनांक 21.01.2019 तक निविदा (अपरान्ह 5.00 बजे तक) आमंत्रित की जाती है ।

02/ निविदा/संविदा की शर्ते व आवेदन पत्र आयोग कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है । प्राप्त निविदाए 24.01.2019 को दोपहर 12.00 बजे आयोग कार्यालय में खोली जाएगी।

नोट :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति संवर्ग के निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(एन. के. चन्दवाडा)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

वाहन चालक आउट सोर्स हेतु संविदा शर्ते

1. वाहन चालक के पास वाहन चलाने का निर्धारित व्यवसायिक ड्राईविंग लायसेंस होना आवश्यक है ।
2. वाहन चालक को वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।
3. वाहन चालक की सेवाए प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक होगी । साक्षात्कार के समय वाहन चालक को 9.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होना होगा तथा आवश्यकता होने पर इन्दौर के बाहर भी जाना होगा । अवकाश दिवस में भी आवश्यकता होने पर वाहन चालक को बुलाया जा सकता है । किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन चालक स्वयं जिम्मेदार होगा ।
4. वाहन चालक उपलब्ध कराने वाली संस्था को आउट सोर्सिंग हेतु पंजीयन आवश्यक है ।
5. वाहन चालक हेतु अनुबंध एक वर्ष हेतु किया जायेगा । सेवाएँ संतोषप्रद होने की स्थिति में अनुबंध अवधि को बढाया जा सकता है ।
6. वाहन चालक को लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा एवं आवश्यक पूर्तियां प्रति दिन करनी होगी । वाहन इन्दौर लोकल भ्रमण करने पर इन्दौर लोकल एवं प्रवास पर भ्रमण करने पर प्रवास स्थल/शहर का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य रहेगा । वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से वाहन की मीटर रीडिंग का प्रमाणीकरण/सत्यापन लॉग बुक में करवाना होगा ।
7. निविदाकर्ता संस्था की कोई शर्त मान्य नही होगी ।
8. चालक समय का पाबंद, उत्तम व्यवहार एवं अच्छे चाल चलन का होना आवश्यक है । जिसका पुलिस वेरिफिकेशन निविदा मान्य होने पर कराया जायेगा । यदि वाहन चालक अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर अन्य वाहन चालक की व्यवस्था निविदाकर्ता को करनी होगी अन्यथा प्रतिमाह के लिये निश्चित राशि के अनुसार प्रतिदिन के मान से कटोती की जाएगी । वाहन चालक के अनुपस्थित रहने पर एवज में आने वाले वाहन चालक के दस्तावेज एवं अनुभव का भी विशेष ध्यान रखा जाये । वाहन चालकों की पहचान आदि के लिये उनका पूर्ण पता एवं अन्य विवरण आदि दस्तावेज भी कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये । वाहन चालक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने की शिकायत पर वाहन चालक बदलना अनिवार्य होगा ।
9. चालक वाहन का रख–रखाव ठीक से करेगा । वाहन की साफ–सफाई एवं आवश्यक स्टेपनी एवं चारो व्हील में हवा/पानी का ध्यान रखना होगा ।
10. निविदा पर निविदाकार के हस्ताक्षर नही होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
11. अनुबंध अवधि में निर्धारित राशि में कोई परिवर्तन मान्य नही होगा ।
12. किसी भी निविदाकार को बिना कोई कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव, लोक सेवा आयोग को होगा।
13. किसी कारणवश अगर चालक बदला जाता है तो इसकी पूर्व सूचना आयोग को देना होगी ।
14. निविदा अनुसार देयक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । देयक के साथ संस्था का टीन जी.एस.टी, बैंक खाता कमांक, बैंक का नाम, आईएफ़एससी कोड प्रस्तुत करना होगा । निविदा शर्तो को पूरा न करने पर भुगतान किया जाना संभव नही होगा ।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभय पक्ष को मान्य होगा । किसी भी प्रकार का न्यायालयीन विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालयीन क्षेत्राधिकार इन्दौर होगा ।
16. भुगतान योग्य राशि से नियमानुसार 2 प्रतिशत आयकर एवं फर्म की वार्षिक आय रू. दस लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त रूप से अन्य समस्त करों का कटौत्रा किया जायेगा ।

अविरत --- 2 —

17. कार्यालय एक माह की लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है । निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त करने की सूचना न्यूनतम दो माह के पूर्व देना होगी । यदि अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन नही किया जाता है तो एक सप्ताह की सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
18. कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश का पालन किया जाना आवश्यक होगा ।
19. निविदत्त दरों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय/भत्ता मान्य नही होगा ।
20. आदेश जारी होने के अधिकतम पांच दिवसों में अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा एवं अनुबंध की तिथि से अधिकतम पांच दिवसों में वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा ।
21. समान राशि के भाव प्राप्त होने की दशा में प्रथमतः शासन नियमानुसार अनु.जाति एवं जनजाति संवर्ग के निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी ।
22. ई.पी.एफ., ई.एस.आई न्यूनतम वेतन अधिनियम व अन्य श्रम कानूनी व अन्य कानूनी व वैधानिक प्रावधान का पालन करना निविदाकर्ता की जबावदारी होगी । इस संबंध में आयोग की कोई जबावदारी नही रहेगी ।
23. भविष्य निधि अंश दान एवं कर्मचारी बीमा राशि कर्मचारी एवं समस्त एजेंसी नियुक्तिकर्ता का अंशदान नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जमा किया जावेगा एवं प्रमाणस्वरूप आगामी माह के भुगतान के पूर्व भविष्य निधि अंशदान नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जमा किया है संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
24. बाल श्रमिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । किसी भी रूप में कार्यरत कर्मचारियों की घटना/दुर्घटना होने पर इस कार्यालय की जबावदारी नही होगी । संस्था इस हेतु जिम्मेदार रहेगी । कर्मचारी ड्रेसकोड एवं पहचान पत्र संस्था द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है।